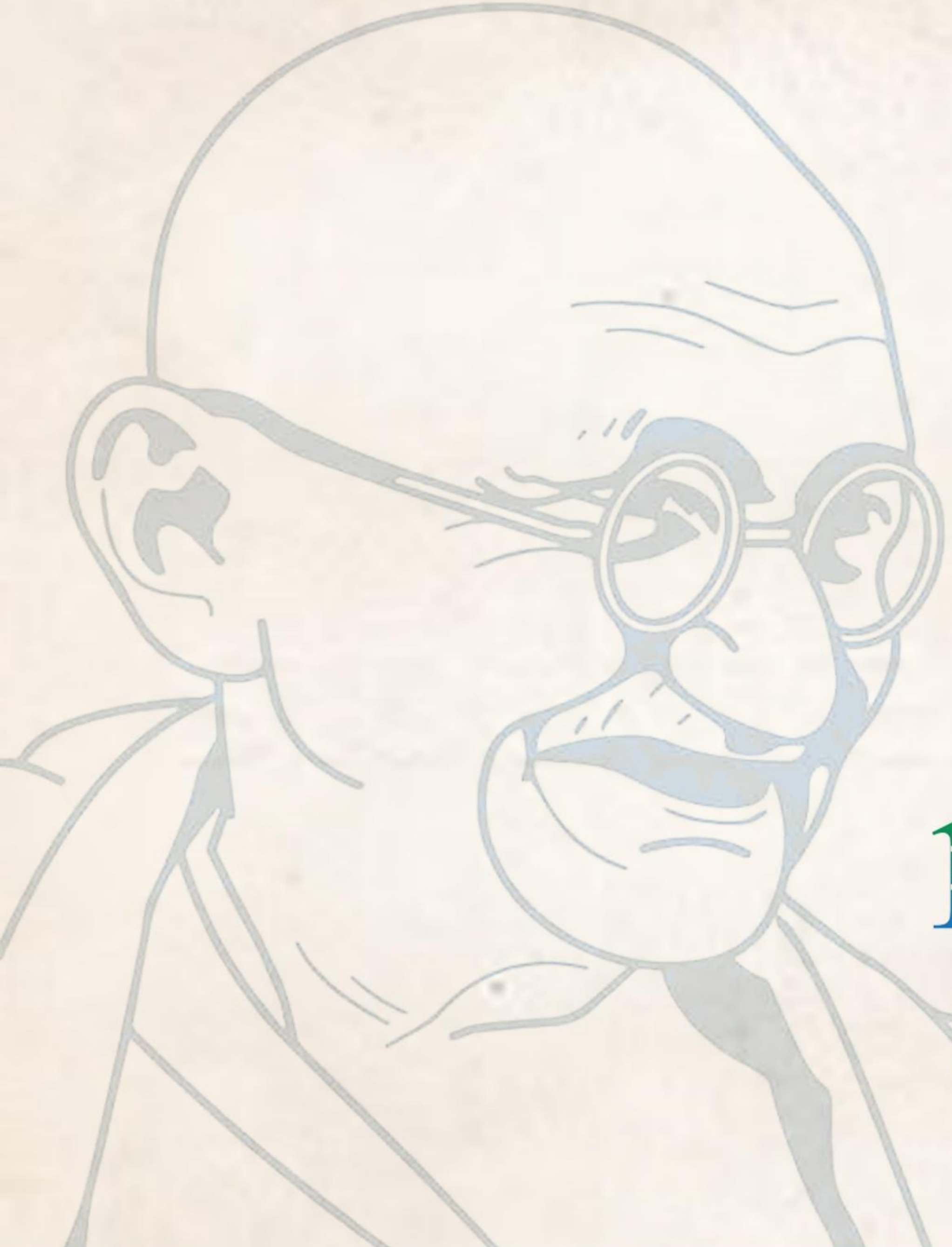

प्रगति पुस्तिका

स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय)

विषय - सूची

1. स्वच्छ भारत मिशन: प्रस्तावना
2. स्वच्छ सर्वेक्षण : मार्गदर्शक सिद्धांत
3. प्रगति अख्या
4. स्वच्छ संदेश
 - स्थलों का कायाकल्प
 - मानव जीवन पर स्वच्छ स्पर्श
 - शून्य अपशिष्ट आयोजन
 - व्यवहार परिवर्तन
 - महिलाओं का आत्मसम्मान
 - नवाचार की ओर बढ़ते कदम
5. स्वच्छता हमारा ध्येय

स्वच्छ भारत मिशन

स्वच्छ भारत मिशन–नगरीय का प्रथम चरण पूर्ण हो चुका है। जिसमें 8,99,634 व्यक्तिगत शौचालयों तथा 69,381 सीट सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालय एवं यूरिनल का निर्माण कराते हुए सभी स्थानीय निकायों को ओ0डी0एफ0 घोषित कराने में सफलता प्राप्त की गयी है। प्रदेश में सूखे कूड़े के निस्तारण हेतु 534 मैटेरियल रिकवरी फैसेलिटी का निर्माण किया गया है तथा 439 एम0आर0एफ0 का निर्माण प्रस्तावित व प्रक्रियाधीन है। गीले कूड़े के निस्तारण हेतु नगर निकायों में लगभग 850 कम्पोस्ट पिट उपलब्ध है तथा ठोस अपशिष्ट के निस्तारण हेतु 36 निकायों में निस्तारण प्लांट बनाये जा रहे है। बायो सी0एन0जी0 उत्पादन हेतु 04 प्लांट प्रस्तावित एवं निर्माणाधीन है। इन परियोजनाओं की सहायता से नगरीय ठोस अपशिष्ट अब कूड़े के स्थान पर संसाधन के रुप में प्रयोग किया जा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन–नगरीय द्वारा 75 जनपद के 750 निकाय में 75 घंटे का GVP (Garbage Vulnerable Point) विलोपन हेतु प्रतिबद्ध अभियान चलाया गया, जिसमें लगभग 3000 जी0वी0पी0 प्वांइट्स को साफ कर उसका सौन्दर्यीकरण किया गया। इस स्थानों पर पुनः कूड़ा न पडे तथा इस सौन्दर्यीकरण को निरंतरता प्रदान करने के उद्देश्य से नगर सुशोभन अभियान चलाया गया। इस योजना में लगभग 08 लाख लोग सम्मिलित हुए। स्वच्छ भारत मिशन को मूर्त रुप देने के लिए स्वच्छ छठ पूजा, स्वच्छ वार्ड प्रतियोगिता, सिंगल यूज्ड प्लास्टिक बैन अभियान, स्वच्छता टैक्नोलोजी चैलेंज जैसे अभियानों का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इसी क्रम में स्वच्छ ढ़ाबा एवं स्वच्छ विरासत अभियान भी चलाया गया। माह फरवरी 2023 से 10तक डोर टू डोर अभियान चलाया गया है। इसके अतिरिक्त 75000 शौचालय सीटों की साफ–सफाई एवं उनको सुविधायुक्त करने हेतु दिनांक 24.03.2023 से 30.03.2023 तक कार्यक्रम चलाया गया। महिलाओं के नेतृत्व में सैनिटेशन को बढावा देने हेतु स्वच्छोत्सव–2023 अन्तर्गत "नवदेवी सम्मान" से उन महिलाओं को सम्मानित किया गया जो कि अपने निवासित वार्डों में कूड़ा कलेक्शन एवं सोर्स सेग्रिगेशन में स्वयं कार्य कर रही है तथा दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित कर रही हैं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से स्वच्छ भारत मिशन का क्रियान्वयन धरातल पर साकार किया जा रहा है।

स्वच्छ सर्वेक्षण

स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 क्या है?

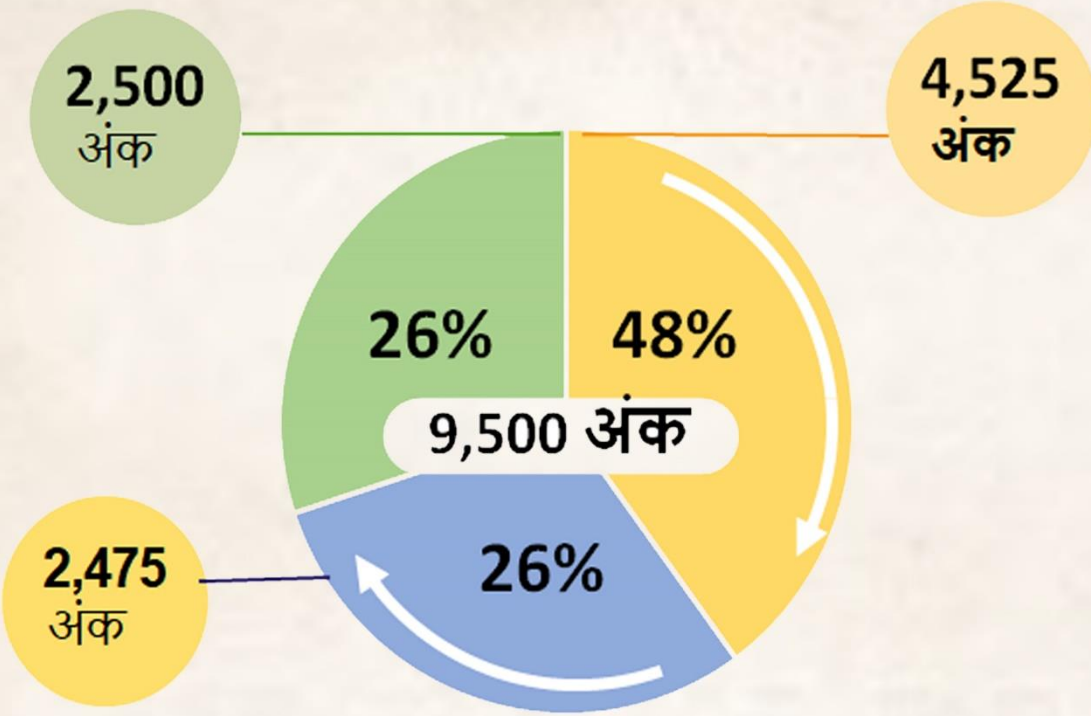

प्रमाणीकरण

घटक	अंक	%
कचरा मुक्त शहर (GFC)	1,250	16%
ODF/ODF+/ODF++/Water+	1,250	16%

सिटीजन वॉयस

घटक	अंक	%
नागरिक अनुभव	975	13%
नागरिक जुड़ाव	600	8%
शिकायत निवारण और महामारी प्रतिक्रिया	700	7%
नवाचार और सर्वोत्तम अभ्यास	200	2%

सेवा स्तर प्रगति

घटक	अंक	%
पृथक्कीकृत संग्रहण	1750	39%
प्रसंस्करण एवं निपटान	1830	40%
संवहनीय स्वच्छता एवं सफाईमित्र सुरक्षा	945	21%

मुख्य केंद्र :

1. पृथक्कीकृत संग्रहण और प्रसंस्करण एवं निपटान (GFC) — 44%
2. संवहनीय स्वच्छता एवं सफाईमित्र सुरक्षा (ODF) — 25%
3. शिकायत निवारण — 16%

स्वच्छ सर्वेक्षण-मूल्यांकन

आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (डवभ्न।) द्वारा वर्ष 2016 में स्वच्छ सर्वेक्षण एक प्रतिस्पर्धा के रूप में शुरू किया गया था ताकि शहरों में नागरिक भागीदारी को बढ़ाते हुए उन्हें शहरी स्वच्छता में सुधार करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। स्वच्छ सर्वेक्षण से शहरों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित हुई है। 2016 में स्वच्छ सर्वेक्षण की यह यात्रा जो केवल 73 शहरों में लाखों की आबादी के साथ शुरू हुई थी आज कई गुना बढ़ गई हैए जिसमें 2017 में 434 शहर, 2018 में 4203 शहर, 2019 में 4,237 शहर, 2020 में 4242 शहर, 2021 में 4,320 शहर और स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में 4,355 शहर शामिल हैंए जिनमें 62 कैन्टोनमेंट बोर्ड शामिल है।

स्वच्छ सर्वेक्षण के प्रमुख उद्देश्य:

वार्षिक शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा थर्ड पार्टी मूल्यांकन एजेंसी के माध्यम से आयोजित किया गया।

उद्देश्य:

1. शहरों द्वारा स्वच्छ भारत मिशन में गति लाने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना।
2. स्वच्छता मापदंडों पर अपने प्रदर्शन में सुधार करने के लिए शहरों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना।
3. बड़े पैमाने पर नागरिकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना और उन्हें स्वच्छता के महत्व के बारे में जागरुक करना।
4. शहरों द्वारा नागरिकों को बेहतर स्वच्छता सेवाएं प्रदान करना।

कार्यप्रणाली

वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा थर्ड पार्टी एजेंसी द्वारा मूल्यांकन के माध्यम से किया जाता है। सर्वेक्षण वर्ष के दौरान सभी तिमाहियों को शामिल करने के लिए कॉल एवं प्रत्यक्ष मूल्यांकन के माध्यम से स्वच्छ सर्वेक्षण कई चरणों में वार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है। प्रत्यक्ष मूल्यांकन में मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा प्रत्यक्ष अवलोकन और 'नागरिक सत्यापन' शामिल है। शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा थर्ड पार्टी मूल्यांकन एजेंसी के माध्यम से आयोजित किया गया ।

मूल्यांकन के मापदण्ड:

मूल्यांकन मापदण्डों को निम्नलिखित तीन घटकों में वर्गीकृत किया गया है:-

1. **सेवा स्तर प्रगति** (SLP): इस घटक के अन्तर्गत निम्नलिखित उप–घटकों को शामिल किया गया है:–

i. पृथक्कीकृत संग्रहणः पृथक्कीकृत अपशिष्ट संग्रहण, सार्वजनिक क्षेत्रों की स्वच्छता, प्लास्टिक अपशिष्ट क्षमता निर्माण, अपशिष्ट न्यूनीकरण और पुनः उपयोग आदि।

ii. प्रसंस्करण एवं **निस्तारण** ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण (गीला, सूखा, सैनेटरी एवं घरेलू खतरनाक अपशिष्ट), लेगेसी साइटों का प्रसंस्करण, उपयोगकर्ता शुल्क आदि। उपयोगिता जल प्रबंधन एवं सफाईमित्र सुरक्षा उपयोगिता जल प्रबन्धन, सार्वजनिक शौचालय, सामुदायिक ।

iii. शौचालय, मूत्रालय, सीवरेज तथा सेप्टिक टैंकों की मशीनीकृत सफाई आदि ।

2. **प्रमाणीकरण**– इसके अंतर्गत कचरा मुक्त शहर स्टार रेटिंग और ओडीएफ ओडीएफ+/ओडीएफ ++/वाटर + प्रमाणन' में शहरों की उपलब्धि को शामिल किया गया है।

3. **'सिटीजन वॉइस**– इसमें नागरिकों की सहभागिता और प्रतिक्रिया, स्वच्छ टेक्नोलॉजी चैलेंज, स्वच्छता ऐप के माध्यम से शिकायतों का निवारण, नवाचार और सर्वोत्तम आचरण, आपदा और महामारी प्रतिक्रिया आदि शामिल हैं।

डेटा संग्रहण और मूल्यांकन :

सर्वेक्षण के लिए डेटा निम्नलिखित 3 स्रोतों के माध्यम से एकत्रित किया गया है-

1. स्वच्छता पोर्टल में स्वच्छ सर्वेक्षण संकेतकों के अंतर्गत नगरीय निकाय द्वारा किए गए प्रदर्शन हेतु स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के दौरान, विभिन्न घटकों में नगरीय निकाय द्वारा 5.5 लाख से अधिक दस्तावेज अपलोड किए गए हैं।
2. मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा 'प्रत्यक्ष अवलोकन' के माध्यम से एकत्रित किये गये डेटा स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के दौरान, प्रत्यक्ष अवलोकन के माध्यम से 172 लाख से अधिक डेटा पॉइंट एकलित किए गए हैं।
3. नागरिकों दवारा फीडबैक और सत्यापन के माध्यम से एकत्रित किये गए डेटा स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के दौरान 1 करोड़ से अधिक नागरिक दवारा सत्यापन और फीडबैक दिया गया है।

स्वच्छ सर्वेक्षण टूलकिट में उल्लेखित संकेतकों के आधार पर नगरीय निकाय के अधिकारी द्वारा दस्तावेज तैयार कर आयुक्त या नोडल अधिकारी के प्रमाणीकरण पश्चात डेटा उपलब्ध कराया जाता है। निकाय स्वच्छ सर्वेक्षण के संकेतको के आधार पर शहर के प्रदर्शन का स्व–मूल्यांकन भी कर सकता है। मूल्यांकन एजेंसी डेस्कटॉप मूल्यांकन अभ्यास के रूप में निकाय द्वारा प्रस्तुत प्रत्येक डेटा और दस्तावेजों को सत्यापित करती है। मूल्यांकन एजेंसी द्वारा टूलकिट में वर्णित निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन करते हुए डेटा और दस्तावेजों को एकत्रित कर व्यवस्थित रूप से विश्लेषण किया जाता है यह। प्रक्रिया पूर्णतः स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से की जाती है ।

जमीनी स्तर पर मूल्यांकन के दौरान, मूल्यांकनकर्ता रेन्डम नमूने के आधार पर विभिन्न स्थानों (व्यावसायिक आवासीय, प्रसंस्करण सुविधाओं, सार्वजनिक शौचालयों, झुग्गी बस्ती क्षेत्रों आदि) का दौरा करेंगे। मूल्याकन एजेंसी जहां कहीं भी आवश्यक हो, फोटोग्राफ वीडियो के साथ अपनी टिप्पणियों और निष्कर्षो को दर्ज करने के लिए सामान्य हैंडहेल्ड डिवाइस / रिकॉर्डिंग प्रारूपों का उपयोग करेगी। जिन्हें दिनांक/समय/स्थान आदि मापदण्डों के साथ दस्तावेजीकरण करने की आवश्यकता है। जमीनी स्तर पर मूल्यांकन के दौरान, मूल्यांकन एजेंसी नगरीय निकायों द्वारा किए गए प्रदर्शन का नागरिकों द्वारा सत्यापन भी करती है। इसके अतिरिक्त टूलकिट में निर्धारित विभिन्न स्तरों पर प्रश्नावली के माध्यम से सिटीजन फीडबैक ली जाती है।

श्रेणीकरण और पुरस्कार:

मूल्यांकन प्रक्रिया के बाद, मूल्यांकन एजेंसी मूल्यांकन के आधार पर नगरीय निकायों का श्रेणीकरण करती है। 1 लाख जनसंख्या वाले शहरों का श्रेणीकरण दो श्रेणियों में किया जाता है:

1 लाख से 10 लाख एवं 10 लाख से अधिक, 1 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों का श्रेणीकरण जनसंख्या और क्षेत्रों की श्रेणियों के आधार पर किया जाता है जैसा कि टूलकिट में दर्शाया गया है। पुरस्कार जनसंख्या श्रेणियों और क्षेत्रों के आधार पर दिए जाते हैं। विजेता शहरों को पुरस्कारों से लिए पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन श्रेणीकरण को अंतिम रूप देने के बाद किया जाता है।

स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में प्रक्रिया परिवर्तन

1. सभी 4 त्रैमासिक प्रगति का 4 चरणों में मूल्यांकन।
2. चरण 3 में चयनित संकेतकों का नागरिकों द्वारा सत्यापन।
3. चरण 3 में प्रसंस्करण सुविधाओं का जमीनी स्तर पर मूल्यांकन।
4. 1 अक्टूबर 2022 से नागरिकों की प्रतिक्रिया शुरू की जाएगी।

स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 मूल्यांकन की प्रक्रिया 4 चरणों में पूर्ण की जाएगी |

मूल्यांकन मापदण्डों में किए गए प्रमुख बदलावः

1. पृथक्कीकृत डोर–टू–डोर कलेक्शन के लिए अंक 10% से बढ़कर 13% हो गए।
2. प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए अंक 2% से बढ़कर 10% किए गए।
3. 'सिटीजन वॉइस' घटक के 'स्वच्छ वार्ड संकेतक के अंतर्गत अंक 1% से बढ़कर 13% हो गए।
4. 2% वेटेज के साथ 'वेस्ट टू वंडर' पार्क पर संकेतक जोड़ा गया।
5. स्वच्छता ऐप संकेतकों के अंतर्गत 'एलो स्पॉट्स के लिए अंक 10% से बढ़कर 18% हो गए।
6. जीरो वेस्ट ईवेंट को अंक 2% से 5% वृद्धि कर सेवा स्तर प्रगति में स्थानांतरित कर दिया गया।
7. नया संकेतक जोड़ा गया जिसके अंतर्गत एन0सी0सी0 कैडेट, एन0वाई0के0एस0, 07 एन0एस0एस0 संगठनों को स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर बने स्मारको और पार्कों की सफाई और रखरखाव के लिए शामिल किया जाएगा।
8. स्वच्छता घटक के लिए दिव्यांग अनुकूल शौचालयों के लिए अंक 3% से बढ़ाकर 9% किया गया
9. बैकलेन के लिए अंक 1% से बढ़कर 3% हो गए।

रैंकिंग और पुरस्कार श्रेणियाँः

एसएस-2023 प्रेरक दौड़ सम्मान
शहरों का संशोधित श्रेणीकरण

प्रेरक दौड़ श्रेणी 2022	जीएफसी स्टार रैंटिंग 2022	स्वच्छता की स्थिति 2022
प्लैटिनम (दिव्य) शहर	7 स्टार (वाटर+ अनिवार्य)	वाटर+
गोल्ड (अनुपम) शहर	5 स्टार (ओडीएफ++ अनिवार्य)	वाटर+
सिल्वर (उज्जवल) शहर	3 स्टार (ओडीएफ+ अनिवार्य)	ओडीएफ++
कॉपर (आरोही) शहर	1 स्टार (ओडीएफ अनिवार्य)	ओडीएफ+

प्रमाणीकरण

प्रमाणीकरण: 2,500 / 9,500 अंक
संकेतकों की कुल संख्या: 2

प्रमाणीकरण: 2,500 / 9,500 अंक

प्रमाणित जीएफसी स्टार रेटिंग स्थिति (31.12.2022 की स्थिति में)

अंकन की योजना	अंक
7 स्टार शहर (वाटर+ अनिवार्य) प्रमाणीकरण	1,250
5 स्टार शहर (ओडीएफ++ अनिवार्य)प्रमाणीकरण	1,050
3 स्टार शहर (ओडीएफ+ अनिवार्य) प्रमाणीकरण	600
1 स्टार शहर (ओडीएफ अनिवार्य) प्रमाणीकरण	400

प्रमाणित ओडीएफ स्थिति (31.12.2022 की स्थिति में)

अंकन की योजना		अंक
वाटर+ शहर	प्रमाणीकरण	1,000
ओडीएफ ++ शहर	प्रमाणीकरण	600
ओडीएफ+ शहर	प्रमाणीकरण	400
ओडीएफ शहर	प्रमाणीकरण	200

कचरा मुक्त शहरों की स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल – 2023

1 और 3 स्टार (घटक / शर्त)

1. घर–घर से कचरा संग्रहण
2. स्रोत पृथक्कीकरण
3. स्वीपिंग + लिटर बिन्स + सेकेंडरी स्टोरेज बिन्स
4. थोक अपशिष्ट उत्पादक द्वारा प्रसंस्करण
5. निर्माण विध्वंस (C&D) अपशिष्ट संग्रह
6. अपशिष्ट प्रसंस्करण और क्षमता– गीला अपशिष्ट
7. अपशिष्ट प्रसंस्करण और क्षमता सूखा अपशिष्ट
8. डेपसाइट उपचार
9. प्लास्टिक प्रतिबंध
10. शिकयतों का सुधार
11. उपयोगकर्ता शुल्क
12. आई0ई0सी0 और क्षमतावर्धन
13. वैज्ञानिक लैंडफिल
14. जलाशयों में कोई ठोस अपशिष्ट दिखाई नहीं देना एवं स्टॉर्म वॉटर नालियों/नालों की स्क्रीनिंग।
15. निर्माण एवं विध्वंश (C&D) अपशिष्ट पृथक्करण (गैर–थोक अपशिष्ट उत्पादक)
16. जिओ मैपिंग अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं, सी एंड डी सुविधाओं, लैंडफिल, डॅपसॉइट्स, एसटीपी / एफएसटीपी

5 और 7 स्टार (घटक / शर्त)

17. वार्डों का जिओ मैपिंग अर्थात वार्ड की सीमा, नालियां, नाले, जल निकाय
18. शहर का सौंदर्यीकरण
19. स्थल पर गीले अपशिष्ट का प्रसंस्करण
20. निर्माण विध्वंस (C&D) अपशिष्ट प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण
21. निर्माण विध्वंस (C&D) अपशिष्ट सामग्री का उपयोग
22. अपशिष्ट उप–उत्पादों की बिक्री
23. सेनेटरी और घरेलू खतरनाक कचरे का प्रसंस्करण
24. एस0डब्ल्यू0एम0 संचालन की डिजिटल निगरानी (शहर की सुविधाओं सहित)

5 और 7 स्टार (घटक / शर्त)

स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल में 6 अंक त्र स्वच्छ सर्वेक्षण में 1 अंक

- 1 स्टार : 2400 अंक स्टार रेटिंग में =400 अंक स्वच्छ सर्वेक्षण में
- 3 स्टार 3600 अंक स्टार रेटिंग में =600 अंक स्वच्छ सर्वेक्षण में
- 5 स्टार : 6300 अंक स्टार रेटिंग में =1050 अंक स्वच्छ सर्वेक्षण में
- 7 स्टार : 7500 अंक स्टार रेटिंग में = 1250 अंक स्वच्छ सर्वेक्षण में

मूल्यांकन तंत्र (संशोधित)

मूल्यांकन तंत्र- कचरा मुक्त शहर के लिए स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल			
स्टार रेटिंग	अधिकतम स्कोर	न्यूनतम स्कोर	संबंधित एसएस 2022 स्कोर
1 स्टार	5,200	2,400	400
3 स्टार	5,200	3,600	600
5 स्टार	7,500	6,300	1,050
7 स्टार	7,500	7,500	1,250

कचरा मुक्त शहरों की स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल – 2023

कचरा मुक्त शहर क्या है ?

कचरा मुक्त शहर - ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संपूर्ण श्रृंखला में समग्र मूल्यांकन को सुनिश्चित करता है |

- घर -घर से कचरा संग्रहण
- कचरे का स्रोत पर ही पृथक्कीकरण (सूखा, गीला, सेनेटरी और घरेलू हानिकारक (डीएचडब्ल्यू))
- रहवासी, व्यवसायिक और सार्वजनिक क्षेत्रों में झाड़ू लगाना, अपशिष्ट भंडारण डिब्बे, कूड़े के डिब्बे
- थोक कचरा उत्पादकों हेतु अनुपालन
- वैज्ञानिक अपशिष्ट प्रसंस्करण (सुखा, गीला और डीएचडब्ल्यू), वैज्ञानिक भूमि भरण और निर्माण व ध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन
- डंपसाइट रेमेडिएशन
- उपयोगकर्ता शुल्क, प्लास्टिक प्रतिबंध का प्रवर्तन, अपशिष्ट उप-उत्पादों की बिक्री
- वार्डों और प्रसंस्करण सुविधाओं की जिओ मैपिंग, एसडब्ल्यूएम संचालन की डिजिटल निगरानी
- नागरिक शिकायत निवारण और प्रतिक्रिया प्रणाली
- जैविक अपशिष्ट (गीला कचरा) के स्थल पर ही प्रसंस्करण के माध्यम से गीले अपशिष्ट में कमी लाना
- जल निकायों की सतह की सफाई और वर्षा जल नालियों / नालों में अपशिष्ट रोधी जालियाँ
- शहर का सौंदर्यीकरण, आईईसी और क्षमता निर्माण

स्टार रेटिंग प्रक्रिया प्रवाह

ओ.डी.एफ

ओडीएफ की स्थिति एक नजर में :

दिन के किसी भी समय एक भी व्यक्ति खुले में शौच करते हुए नहीं पाया जाता है।

- खुले में शौच करते हुए कोई नहीं मिला
- निकायों ने व्यक्तिगत शौचालयों और सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण में 100% लक्ष्य हासिल कर लिया है
- खुले में शौच करते पाए गए लोगों पर फाइन व्यवस्था

ओ.डी.एफ +

ओडीएफ + की स्थिति एक नजर में :

दिन के किसी भी समय एक भी व्यक्ति खुले में शौच और / या पेशाब करते नहीं पाया जाता है और सभी सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालय कार्यात्मक और उपयोग लायक बनाये गए हैं।

- किसी को भी **खुले में शौच** या **पेशाब** करते हुए नहीं पाया गया
- सभी सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालय और स्टैंडअलोन मूत्रालय कार्यात्मक एवं अच्छी तरह संधारित किए गए हैं
- सेप्टिक टैंक मय सोख्ता गड्डे, ट्विन पिट, सीवर और पक्की नगरपालिका नालियाँ सभी प्रकार के शौचालय सुरक्षित निपटान प्रणाली से जुड़े हुए हैं

ओ.डी.एफ ++

ओडीएफ ++ की स्थिति एक नजर में :

एक शहर / वार्ड / कार्य क्षेत्र को एसबीएम ओडीएफ शहर / एसबीएम ओडीएफ++ वार्ड/एसबीएम ओडीएफ कार्य क्षेत्र के रूप में अधिसूचित घोषित किया जा सकता है यदि यह ओडीएफ और ओडीएफ से संबंधित सभी पातों को पूरा करता है और मत और सेटेज सहित पूरे सीवेज को सुरक्षित रूप से प्रबंधित और उपचारित किया जाता है, जिसमें जल निकायों या खुले क्षेत्रों में मल कीचड़ और सेप्टेज सहित अनुपचारित पूरे सीवेज का कोई खुला निर्वहन / डंपिंग नहीं होता है।

- ओडीएफ + शर्तों का पालन किया गया
- कोई अनुपचारित सीवेज (जिसमे मल जल और सेप्टेज आदि शामिल है) जल निकायों या खुले क्षेत्रों में नहीं छोड़ा/डंप किया जाता है
- मल और सेप्टेज सहित सीवेज को सुरक्षित रूप से प्रबंधित और उपचारित किया जाता है

वाटर +

वाटर + की स्थिति एक नजर में :

एक शहर वार्ड कार्यक्षेत्र को एसबीएम यूज्ड वाटर के रूप में अधिसूचित / घोषित किया जा सकता है बशर्ते कि घरों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, संस्थानों आदि से जारी सेप्टेज सहित सभी घरेलू उपयोग किए गए पानी को एकत्रित किया जाता है और संतोषजनक स्तर पर या तो ऑनसाइट या ऑफ साइट सुविधा (एमओईएफ एंड सीसी / एसपीसीबी मानदंडों के अनुसार) पर उपचारित किया जाता है। जिसमें उपयोग किए गए पानी को सीवर और नालों के माध्यम से पहुंचाया जाता है, (वर्तमान में एक अंतरिम उपाय के रूप में) और उपचारित बहिस्राव सहित उप–उत्पादों का स्थायी तरीके से जल निकाय/पर्यावरण में अतिरिक्त मात्रा को छोड़ने से पहले पुनः उपयोग किया जाता है।

प्रगति अख्या

स्वस्थ उत्तर प्रदेश के लिए अब खुले में शौच नहीं!

स्वच्छ भारत मिशन–नगरीय के प्रथम चरण पूर्ण हो चुका है। जिसमें 8,99,630 व्यक्तिगत शौचालयों तथा 69,381 सीट सामुदायिक / सार्वजनिक शौचालय एवं यूरिनल का निर्माण कराते हुए सभी स्थानीय निकायों को ओ०डी०एफ० घोषित कराने में सफलता प्राप्त की गयी है।

स्वच्छ भारत मिशन के अर्न्तगत प्रदेश के 651 नगर निकायों द्वारा "खुले में शौच से मुक्त" (ओ०डी०एफ०) स्वघोषित किया जा चुका है एवं इन निकायों को थर्ड पार्टी इन्सपेक्सन कराकर ओ०डी०एफ० प्रमाण पत्र दिया जा चुका है।

1. 2017 –2022 के दौरान 675883 न्यू आई0एच0एच0एल0 का निर्माण कराया गया।

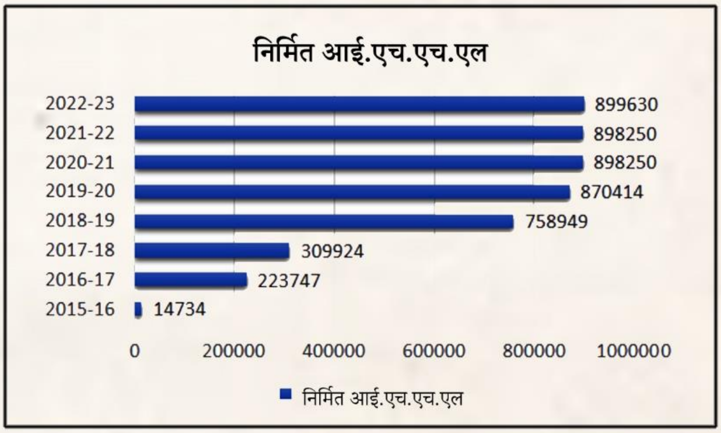

1- वर्ष 2017 –2019 के दौरान 19000 सी0टी0 एव् 14000 पी0टी0 सीट का निर्माण हुआ।

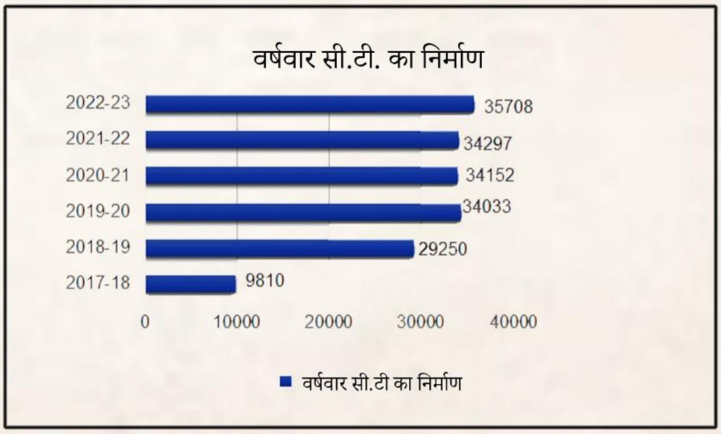

1- वर्ष 2022 तक कुल 35708 सी0टी0 सीट एव् 33763 पी0टी0 सीट मौजूद है।

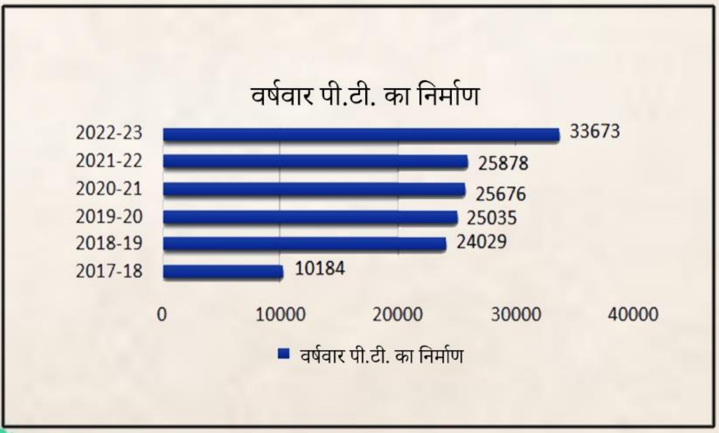

शहरी क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की स्थिति

- **734** यू एल बी
- कुल अपशिष्ट उत्पन्न **14,710 tons**
- डोर टू डोर कलेक्शन (टी पी डी) **14,710 tons**
- अपशिष्ट पृथक्करण (टीपीडी) **12,504 tons**
- कुल अपशिष्ट संसाधित (टीपीडी) **10,117 tons**

शहरी क्षेत्र में सी एंड डी अपशिष्ट प्रबंधन

1- 200 टीपीडी क्षमता वाले निर्माणाधीन संयंत्रों को जून 2023 तक चालू करने का लक्ष्य रखा गया है ।

2- कुल प्रसंस्करण क्षमता 1105 से बढ़कर 1,305 टीपीडी हो जाएगी।

3- मार्च 2024 तक 2,375 टीपीडी की प्रसंस्करण क्षमता हासिल करने का लक्ष्य ।

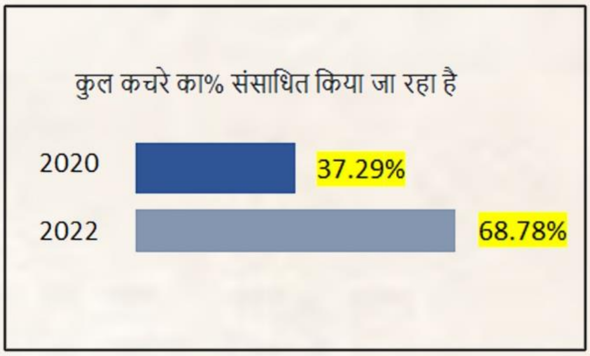

एस॰डब्लू॰एम संचालन 2022 तक प्रगत	
इकाई	टिप्पणियां
एकीकृत एमएसडब्ल्यू प्रसंस्करण सुविधा	5,865 टन की कुल क्षमता वाले 19 संयंत्रों का निर्माण किया गया है
सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा	2670 टन की कुल क्षमता वाले 534 एमआरएफ का निर्माण किया गया है
खाद गड्ढे	1314 टीपीडीएस की कुल क्षमता वाले 850 गड्ढों का निर्माण किया गया है
पृथक्करण	अब 85% घरों में कचरे का पृथक्करण किया जा रहा है
संग्रह	शत प्रतिशत डोर टू डोर कलेक्शन किया जा रहा है
निर्माणाधीन	7526 टीपीडी की कुल क्षमता वाले 699 संयंत्र निर्माणाधीन हैं
प्रस्तावित	6280 टीपीडी की कुल क्षमता वाले 27 संयंत्र प्रस्तावित किए जा रहे हैं
अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र	268 टीपीडीएस की कुल क्षमता वाले 3 संयंत्रों का निर्माण किया गया है

"उत्तर प्रदेश में अब 2,360 टीपीडी तक प्लास्टिक कचरे के प्रसंस्करण की क्षमता है |"

प्रगति अख्या

लीगेसी वेस्ट रेमेडिएशन की स्थिति

- कुल लीगेसी वेस्ट **91 लाख टन**
- उपचारित लीगेसी वेस्ट **58 लाख टन**
- क्षेत्र को पुनर्जीवित करने का लक्ष्य रखा गया है **627 एकड़**
- निस्तारित लीगेसी वेस्ट **33 लाख टन**
- सतप्रतिशत वेस्ट रेमेडिएशन **मार्च 2024**

रेमेडियेशन टाइमलाइन :

1. 23 मार्च से 23 जून 2 लाख टन
2. 23 जुलाई से 23 दिसंबर 24 लाख टन
3. 24 जनवरी से 24 मार्च लाख टन

मार्च 2024 में लक्ष्य प्राप्त करना है

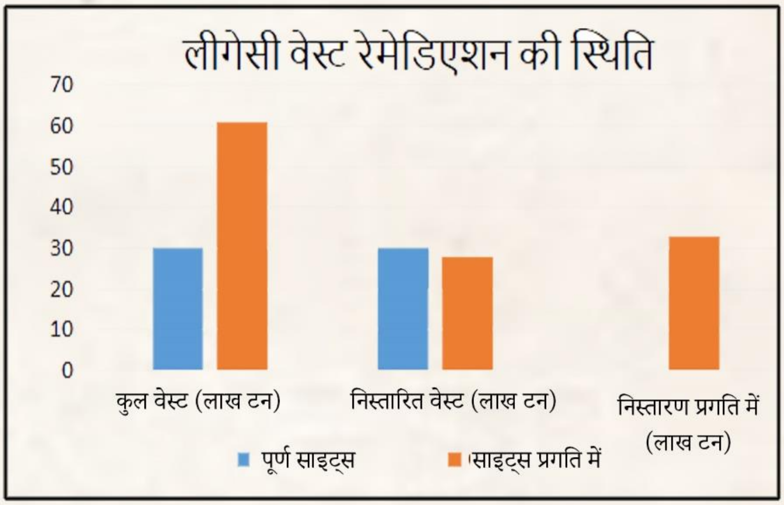

विश्लेषण के अनुसार यह स्पष्ट रूप से सुपाठ्य है कि पुराने कचरे का 50: से अधिक यानी लगभग 58 लाख टन का उपचार किया जाता है।

निवारण से पहले

निवारण से पहले

निवारण के बाद

निवारण के बाद

स्थलों का कायाकल्प

प्रतिबद्ध- गार्बेज मुक्त उत्तर प्रदेश

आजादी / 75 अमृत महोत्सव के अन्तर्गत प्रतिबद्ध 75 घंटे 75 जनपद 750 निकाय GVP (Garbage Vulnerable Points) विलोपन" अभियान चलाया गया, जिसके अन्तर्गत 3,080 GVP (Garbage Vulnerable Points) को समाप्त किया गया एवं स्वच्छ भारत मिशन–नगरीय के अन्तर्गत "जनभागीदारी" और बड़े पैमाने पर नागरिकों के जुड़ाव को सुनिश्चित करने हेतु व्यापक जनादेश के तहत "प्रतिबद्ध अभियान" के विषयगत गतिविधियों का संचालन निकाय स्तर पर किया गया, जिसकी 24'7 में monitoring की गई।

स्वच्छ ढाबा अभियान

जनवरी 2023 में प्रदेश में स्थित मुख्य मार्गों पर बहुतायत संख्या में ढाबे/रेस्टोरेन्ट संचालित है, जो अधिक मात्रा में गीला अपशिष्ट जनित करते है। उपरोक्त जनित अपशिष्ट का वैज्ञानिक विधि से निस्तारण किये जाने हेतु स्वच्छ भारत मिशन–नगरीय के अन्तर्गत दिनांक 05 जनवरी 2023 से 31 मार्च 2023 तक "स्वच्छ ढ़ाबा" अभियान चलाया गया, जिस हेतु प्रदेश के समस्त 750 निकायों में (उनके सीमान्तर्गत) रोड साइड स्थित ढाबो पर एक उद्देश्यपूर्ण कार्यवाही हेतु स्वच्छ ढ़ाबा अभियान की शुरूआत योजनाबद्ध रुप में प्रचार–प्रसार के साथ किया गया।

स्वच्छ विरासत अभियान

जनवरी 2023 में प्रदेश में स्थित मुख्य मार्गों पर बहुतायत संख्या में ढाबे/रेस्टोरेन्ट संचालित है, जो अधिक मात्रा में गीला अपशिष्ट जनित करते है। उपरोक्त जनित अपशिष्ट का वैज्ञानिक विधि से निस्तारण किये जाने हेतु स्वच्छ भारत मिशन–नगरीय के अन्तर्गत दिनांक 05 जनवरी 2023 से 31 मार्च 2023 तक "स्वच्छ ढ़ाबा" अभियान चलाया गया, जिस हेतु प्रदेश के समस्त 750 निकायों में (उनके सीमान्तर्गत) रोड साइड स्थित ढाबो पर एक उद्देश्यपूर्ण कार्यवाही हेतु स्वच्छ ढ़ाबा अभियान की शुरूआत योजनाबद्ध रुप में प्रचार–प्रसार के साथ किया गया।

विश्व शौचालय दिवस

नवम्बर 2022 में हैंडवाश पर जागरूकता और सार्वजनिक शौचालयों की साफ–सफाई के संबंध में लोगो को जागरूक किया गया।

मानव जीवन पर स्वच्छ स्पर्श

स्वच्छ वार्ड प्रतिस्पधा

स्वच्छ वातावरण प्रोत्साहन समितियों द्वारा अपने प्रत्येक वार्ड में आपस में ही प्रतिस्पर्धा आयोजित की गई। जिससे समस्त वार्डो को स्वच्छता के पैमाने पर रखा उतारा जा सके।

नगर सुशोभन अभियान

दिनांक 01 दिसम्बर 2022 से 03 दिसम्बर 2022 तक आयोजित किये गये ''प्रतिबद्ध 75 जनपद 75 घंटे 750 निकाय'' अभियान के अन्तर्गत व उसकी निरन्तरता बनाये रखने के लिए नगर सु ोभन अभियान के अन्तर्गत दिनांक 05 दिसम्बर 2022 से 07 दिसम्बर 2022 तक आयोजित किया गया था। विलोपित किये गये 3080 GVP (Garbage Venerable Point) को निम्न रूपों में परिवर्तित किया गया। जैसे–300 स्थलों को सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिये तैयार किया गया, 1478 स्थलों को पार्क बनाया गया, 104 स्थलों को परिवर्तित कर वेंडिग जोन/फूड कोर्ट बनाया गया, 361 स्थलों को सेल्फी प्वाइंट बनाया गया, 168 स्थलो को समाप्त कर वाल पेंटिंग की गई और 513 स्थलों पर नेकी की दीवार बनाया गया।

शून्य अपशिष्ट आयोजन

प्रदेश के समस्त जनपदों की नगर निकायों में नगरीय सुविधाओं के स्तरोन्नयन नगरों के सौन्दर्यीकरण एवं स्वच्छता के प्रति जागरूकता हेतु माह जनवरी 2023 से 100 दिवसीय उत्तर प्रदेश वैश्विक नगर (UP G Cities) अभियान चलाया जा रहा है। उक्त अभियान के द्वारा राज्य को नगरो को Good to Great बनाने का तत्पर प्रयास किया जा रहा है साथ ही राज्य के नगरों को वैश्विक मापदण्ड पर भी श्रेष्ठ बनाने का संकल्प लिया गया है।

C.No.GE/PFI/2023/19

CERTIFICATE
of
Single Use Plastics Free & Zero Waste Event
(12th February, 2023)

This is to certify that
FIROZABAD MAHOTSAV - 2023
Organized from on 27th January to 5th February, 2023
has been declared
"Single Use Plastics Free & Zero Waste Event"
For this achievement, planned and dedicated efforts of the Municipal Corporation Firozabad are highly appreciated.
This certificate is issued upon verification of self declaration and evidences.

Dr Kuldeep Singh
Coordinator (Co)

Dr Ashok Chauhan
Secretary, Green Earth

INSTITUTE OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT, KURUKSHETRA
(An Autonomous Body of)
Green Earth-Organization for Environment, Health, Safety & Sanitation &
Key Resource Center (KRC) & Sector Partner - National Jal Jeevan Mission
Department of Drinking Water & Sanitation, New Delhi
E-mail: greenearthngo.2006@gmail.com, Contact: +91-9468315618

C.No.GE/PFI/2023/22

CERTIFICATE
of
Single Use Plastics Free & Zero Waste Event
(14th February, 2023)

This is to certify that
MAGH MELA - 2023
Organized from on 6th January to 6th February, 2023
has been declared
"Single Use Plastics Free & Zero Waste Event"
For this achievement, planned and dedicated efforts of the Municipal Corporation Prayagraj are highly appreciated.
This certificate is issued upon verification of self declaration and evidences.

Dr Kuldeep Singh
Coordinator (Co)

Dr Ashok Chauhan
Secretary, Green Earth

INSTITUTE OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT, KURUKSHETRA
(An Autonomous Body of)
Green Earth-Organization for Environment, Health, Safety & Sanitation &
Key Resource Center (KRC) & Sector Partner - National Jal Jeevan Mission
Department of Drinking Water & Sanitation, New Delhi
E-mail: greenearthngo.2006@gmail.com, Contact: +91-9468315618

C.No.GE/PFI/2023/18

CERTIFICATE
of
Single Use Plastics Free & Zero Waste Event
(11th February, 2023)

This is to certify that
International Cricket Match (India Vs New Zealand)
Organized in the Ekana Stadium, Lucknow (UP) on 29th January, 2023
has been declared
"Single Use Plastics Free & Zero Waste Event"
For this achievement, planned and dedicated efforts of the Municipal Corporation Lucknow are highly appreciated.
This certificate is issued upon verification of self declaration and evidences.

Dr Kuldeep Singh
Coordinator (Co)

Dr Ashok Chauhan
Secretary, Green Earth

INSTITUTE OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT, KURUKSHETRA
(An Autonomous Body of)
Green Earth-Organization for Environment, Health, Safety & Sanitation &
Key Resource Center (KRC) & Sector Partner - National Jal Jeevan Mission
Department of Drinking Water & Sanitation, New Delhi
E-mail: greenearthngo.2006@gmail.com, Contact: +91-9468315618

व्यवहार परिवर्तन

डोर–टू–डोर

स्वच्छ भारत अभियान के अन्तर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन (SWM) सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिक विधि द्वारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट (SWM) हेतु सोर्स सेग्रीगेशन किया जाना अनिवार्य है। उपरोक्त के दृष्टिगत प्रतिदिन प्रातः 10:00 बजे तक शत–प्रतिशत सोर्स सेग्रीगेशन (source segregation) सहित पूर्णतया डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन सुनिश्चित कराने हेतु "10तक" 'डोर टू डोर अभियान की शुरुआत दिनांक 01 फरवरी से 31 मार्च 2023 तक 03 चरणों (Pray & Persuade & Penalise) में अभियान के रूप में चलाया गया और वर्तमान में अभियान की निरन्तरता बनी हुई है।

मैं नहीं पीकू

नो स्पिटिंग कैंपेन नगर निकायों में स्वच्छ भारत मिशन– नगरीय के अन्तर्गत नगर – सुशोभन में सौन्दर्यीकरण का कार्य किया गया है। तत्क्रम मे उसकी निरन्तरता को बनाए रखना भी अतिआवश्यक है, जिसके अन्तर्गत स्वच्छ भारत मिशन–नगरीय की गाइडलाइन के मानको के अनुसार साफ–सफाई, litter free zone, Red & yellow Spot, open urination के प्रति जीरो टॉलरेंस सुनिचित करना इत्यादि सम्मिलित है।

आरंभ

सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंध अभियान –पर्यावरण वन और जलवायु प्रवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 12 अगस्त 2021 के तहत 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाली प्लास्टिक को पूर्णतः प्रतिबंधित की गया जिसके क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के नगर विकास विभाग द्वारा प्रतिबंधित एकल उपयोग प्लास्टिक के रोकथाम हेतु प्रदेश में आरंभ अभियान की शुरुवात की गई। इस अभियान के माध्यम से प्रदेश की समस्त निकायों के द्वारा 16.23 टन प्लास्टिक जप्त की गई और 55.65 लाख का जुर्माना प्रतिबंधित एकल उपयोग प्लास्टिक उलंघनकर्ताओ पर लगाया गया जो वर्तमान में समस्त निकायों द्वारा अभी भी सचालित है।

नवाचार की ओर बढ़ते कदम

इंडियन स्वच्छता लीग

उक्त अभियान माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस के अवसर पर स्वच्छता की प्रतिबद्धता को विस्तृत रूप देने हेतु किक स्टार्ट किया गया। जिसमें माह सितम्बर 2022 में कचरे के प्रति जन जागरूकता सुनिश्चित करने हेतु समुद्र तटों, पहाड़ियों एवं पर्यटन स्थलों को कचरा मुक्त करने के लिए युवाओं की रैली आयोजित की गई।

स्वच्छता जनसंपर्क यात्रा

29 सितम्बर 2022 से 02 अक्टूबर 2022 तक स्वच्छता और स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 पर जागरूकता फैलाने के लिए बाइक से पूरे प्रदेश में रैली का आयोजन किया गया जिसमें 1,00000 कि०मी० की स्वच्छता यात्रा तय की गई।

स्वच्छ प्रौद्योगिकी चुनौती

स्वच्छ भारत मिशन– नगरीय 2.0 के अन्तर्गत **"Swachh Technology Challenge"** को प्रभावी रूप से लागू किये जाने के संबंध में प्रदेश में अपशिष्ट प्रबंधन के कार्य को अत्यन्त प्रभावी बनाने एवं स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के उददेश्य से स्वच्छ भारत मिशन– नगरीय 2.0 के अन्तर्गत स्वच्छ टेक्नोलॉजी चैलेंज का आयोजन किया गया। जिसे प्रभावी बनाने हेतु नगरीय निकायों में मेले / समारोह का आयोजन किया गया। जिसमें सिटीजन, एन०जी०ओ०, विद्यार्थी, सिटीजन ग्रुप, स्टार्टअप कम्पनी, शैक्षणिक संस्थान को सम्मिलित किया गया। स्वच्छ टैक्नोलॉजी चैलेन्ज का मुख्य उद्देश्य – सामाजिक समावेशन, जीरो डम्प (सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट), प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेन्ट, पारदर्शिता (डिजिटल सक्षमता) इन थीम्स के अंतर्गत प्रभावी एवं कुशल प्रबंधन के साथ अच्छी टेक्नालॉजी का प्रयोग करने वाले उत्कृष्ट प्रतिभागियों को चयनित किया गया।

महिलाओं का आत्मसम्मान

महिला सम्मान

अन्तर्राष्ट्रीय महला दिवस के अवसर पर "10तक डोर टू डोर" अभियान के अन्तर्गत वार्ड स्तर पर पूर्ण सहभागिता देकर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली 3 महिलाओं को निकाय स्तर पर सम्मानित किया जा रहा है, जिन्होने प्रतिदिन प्रातः 10 बजे तक अपने घर के कूड़े का सोर्स सेग्रीग्रेशन कर नियमित रूप से वेस्ट कलेक्टर को दिया जा रहा है। जिन्होने नियमित रूप से अपने घर में होम कम्पोस्टिंग कर उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया और जिन्होने अभियान के अन्तर्गत पूर्ण सहयोग करने के साथ–साथ वार्ड स्तर पर होम कम्पोस्टिंग व सोर्स सेग्रीगेशन के प्रति जन–जागरूकता के लिये निरंतर प्रचार कर जन सहभागिता सुनिश्चित कराने हेतु उत्कृष्ठ प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर लगभग 40000 महिलाओं द्वारा स्वच्छता के क्षेत्र में women led sanitation के अन्तर्गत GFC influencer के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है।

नव देवी सम्मान

1. स्वयं सहायता समूह (SHG)– महिलाओं का ऐसा समूह जिसने स्वच्छता के क्षेत्र में स्वयं भी उल्लेखनीय कार्य किया हो और दुसरों को भी प्रेरित किया हो।

2. वेस्ट टू वेल्थ (Waste to wealth) महिला द्वारा अनुपयोगी वस्तुओं से ऐसी वस्तु बनाई जा रही हो जिससे स्वयं भी आमदनी की जा रही हो और दुसरों को भी प्रेरित / सहयोग किया जा रहा हो।

3. अपशिष्ट प्रबंधन में उद्यमी (Entrepreneur in waste management)– अपशिष्ट प्रबंधन को एक उद्योग के रूप में तैयार किया हो, जिससे लोगो को रोजगार प्राप्त हुआ हो ।

4. सफाई मित्र (Safai Mitra)– सफाई मित्र के रूप में जिसने सराहनीय कार्य किया हो।

5. मास्टर ट्रेनर (Master trainers) – स्वच्छता के क्षेत्र में मास्टर ट्रेनर के रूप में लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रशिक्षण दिया गया।

6. नवाचार (Innovations) – स्वच्छता के क्षेत्र में महिला द्वारा कोई नवाचार किया गया हो।

7. सामुदायिक खाद (Community Composting) ऐसी महिला जिसने सामुदायिक खाद बनाने के लिए लोगों को प्रेरित किया हो।

8.निकाय की स्थिति में परिवर्तन (Transformation of ULB/ Space) – महिला के प्रयासों द्वारा निकाय की स्थिति में परिवर्तन आया हो। यथा – निकायों का सौन्दर्यीकरण, साफ–सफाई, स्वच्छता के कार्यो में जन सहभागिता को बढाना और उसकी **ओनरशिप** लेना।

9. सामुदायिक जागरूकता (Community Awareness) – महिला द्वारा समुदाय को स्वच्छता (3 R-Reduce, Reuse and Recycle, SUP) के संदर्भ जागरूक किया जा रहा हो।

स्वच्छता हमारा ध्येय

स्वच्छता हमारे लक्ष्य के रूप में हमें एक साफ और स्वच्छ वातावरण की ओर ले जाने का जीवन भर का संकल्प है। नगर निकाय के लिए व2क ब्सससमबजपवद अभियान का आयोजन स्वच्छता को बनाए रखने के लिए किया जा रहा हैए जिसमें स्रोत विभाजन और सफाई के संपूर्ण मापदंडों का नियमित मॉनिटरिंग होता है। ट्रांसफॉर्म किए गए ळटच का मॉनिटरिंग किया जाता हैए खुले कचरे को फैलाने पर जुर्माना लगाया गया है ताकि ळटच के निर्माण को रोका जा सके। बल्क वेस्ट जेनरेटर्स को उनके साइट पर प्रोसेसिंग करने के लिए निर्देश दिए गए हैं और अधिकृत कचरा संग्रहकों को विभाजित सूखे कचरे को हाथ में सौंपना है। हवा प्रदूषण को कम करने के लिए ब्—क वेस्ट संग्रह और प्रोसेसिंग को सुनिश्चित किया जाता हैए शहर में मौजूदा डंपसाइट सुधार के प्रगति का नियमित फॉलोअप किया जाता हैए प्लास्टिक वेस्ट पर प्रतिबंध लगाया गया हैद्य

उत्तर प्रदेश में स्वच्छ भारत मिशन के तहतए कई पहल की गई हैं जिससे कचरे को श्कबाड़ से जुगाड़श बनाने का प्रयास किया गया है। उनमें से एक सबसे उल्लेखनीय उदाहरण है राज्य के विभिन्न हिस्सों में प्लास्टिक पुनरावृत्ति यूनिट की स्थापना। ये यूनिट्स प्लास्टिक कचरे को पुनरावृत्ति कर इसे उपयोगी उत्पादों में बदलते हैंए जैसे प्लास्टिक पैलेट्सए जो विभिन्न प्लास्टिक उत्पादों के निर्माण में उपयोग किए जा सकते हैं।

एक और उदाहरण ऑर्गेनिक कचरे को कम्पोस्टिंग करने का है। उत्तर प्रदेश में स्वच्छ भारत मिशन ने ऑर्गेनिक कचरे के उपचार के लिए घरेलू और समुदायों में कम्पोस्टिंग पिटों का उपयोग प्रोत्साहित किया है। यह ऑर्गेनिक कचरा कंपोस्ट में बदला जाता हैए जो पौधों के लिए खाद के रूप में उपयोग किया जा सकता हैए जिससे भूमि की उर्वरता में सुधार होता है और कचरे को भूमिगत ढेरों में नहीं जाने दिया

G20

भारत 2023 INDIA

वसुधैव कुटुम्बकम्

ONE EARTH • ONE FAMILY • ONE FUTURE